

## दिनांक 16.03.2026 को मुख्य विकास अधिकारी महाराजगंज की अध्यक्षता में सम्पन्न जल जीवन मिशन-हर घर जल की समीक्षा बैठक (समस्त घटक) का कार्यवृत्त:-

दिनांक 16.03.2026 को मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में अधिशासी अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण) महाराजगंज, अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड महाराजगंज, सहायक अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण) महाराजगंज, सहायक अभियन्ता (वि०/यौ०) जल निगम(ग्रामीण) गोरखपुर, प्रोजेक्ट मैनेजर जे.एम.सी.प्रोजेक्ट एवं एल.सी.ई.एस.पी.एस.(जे.वी.) महाराजगंज, प्रोजेक्ट इंजीनियर मेसर्स स्थिविक-कोया (जे.वी.) महाराजगंज, डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर TPIA, DPMU आदि उपस्थित रहे।

बैठक की कार्यवाही का विवरण निम्नवत है:-



### (1) मेसर्स जे.एम.सी.प्रोजेक्ट से सम्बन्धित कार्य (JJM फेज-2):-

#### अगली बैठक हेतु लक्ष्य

Name of Firm	I.W.				CHT					Pump House				
	Drilling	Comp resor	O.P. Unit	Pump Lowering	0-25 %	25-50%	50-75%	75-99%	100%	0-25 %	25-50%	50-75%	75-99%	100%
JSC-LCESPL (JV)	1	1	1	5	13	10	10	10	4	0	0	7	19	5

Pipe Line (km)	PHIC	Salor	DG	Regular Water Supply	Boundary wall (up to DPC)				
					0-25 %	25-50%	50-75%	75-99%	100%
2.00	1500	11	4	10	8	11	13	7	5

अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि 446 राजस्व ग्रामों के 341 परियोजनाओं के सापेक्ष 5 परियोजनाओं में भूमि विवाद के कारण कार्य प्रभावित है जिसमें 1 परियोजना मा0 उच्च न्यायालय एवं 4 मा0 सिविल कोर्ट में विचाराधीन है। जिसके सम्पर्क में अधोहस्ताक्षरी द्वारा भूमि विवाद से सम्बन्धित प्रकरण को डिस्ट्रिक्ट को-ऑर्डिनेटर (DPMU) को सम्बन्धित तहसील के उपजिलाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर प्रकरण की अद्यतन रिपोर्ट प्राप्त कर भूमि विवादों का निस्तारित कराने के निर्देश दिये गये।

अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा निर्गत की गयी धनराशि को 5 कटेगरी में विभाजित किया गया है, जो निम्नवत है-

1. ऐसी योजनाये जो शतप्रतिशत पूर्ण व संचालन एवं अनुरक्षण की श्रेणी में है।
2. ऐसी योजनाये जो शतप्रतिशत पूर्ण व ट्रायल एवं रन की श्रेणी में है।
3. ऐसी योजनाये जो शतप्रतिशत पूर्ण व ट्रायल एवं रन की श्रेणी में जानी है।
4. ऐसी योजनाये जिनका कार्य 91 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के मध्य है।
5. ऐसी योजनाये जिनका कार्य 81 प्रतिशत से 90 प्रतिशत के मध्य है।

अधिशाली अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि फेज-2 के अन्तर्गत 341 योजनाओं के सापेक्ष कटेगरी-1 में 19 योजनायें, कटेगरी-2 में 37 योजनायें, कटेगरी-3 में 86 योजनायें, कटेगरी-4 में 29 योजनायें एवं कटेगरी-5 में 29 योजनायें हैं। अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि समस्त चयनित 200 योजनाओं का वर्क प्लान अधिशाली अभियन्ता को उपलब्ध कराते हुये योजनाओं को माह-जून 2026 तक पूर्ण कराते हुये कटेगरी-1 में ले जाना सुनिश्चित करें, साथ ही अग्रिम बैटक में योजनाओं में सम्मिलित राजस्व ग्रामों की संख्या को भी अंकित करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही:-परियोजना प्रबन्धक, जे0एम0सी0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एस0(जे0वी0)/अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) महाराजगंज, अधिशाली अभियन्ता (वि0/यॉ0), जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर अधिशाली अभियन्ता विद्युत विभाग महाराजगंज

## (2) मेसर्स स्थितिक कोया (जे0वी0) (JJM फेज-3) - कोया

### अगली बैटक हेतु लक्ष्य

Name of Firm	T.W				OHT					Pump House				
	Dilling	Comp-ressor	O.P. Unit	Pump Lowering	0-25 %	25-50%	50-75%	75-99%	100%	0-25 %	25-50%	50-75%	75-99%	100%
Rithwik-Koya (JV) - Koya	-	-	1	11	10	10	8	8	6	6	8	10	12	8

Pipe Line (km)	FHTC	Solar	DG	Regular Water Supply	Boundary wall (up to DPC)				
					0-25 %	25-50%	50-75%	75-99%	100%
8.00	700	8	4	10	8	7	9	12	6

अधिशाली अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि 345 राजस्व ग्रामों के 205 परियोजनाओं के सापेक्ष 5 परियोजनाओं में भूमि विवाद के कारण कार्य प्रभावित है जिसमें 3 परियोजना मा0सिविल कोर्ट में विचारधीन है तथा 2 परियोजना राजस्व विभाग/घकाबंदी में होने के कारण लम्बित है। जिसके सम्पर्क में अधोहस्ताक्षरी द्वारा भूमि विवाद से सम्बन्धित प्रकरण को डिस्ट्रिक्ट को-ऑर्डिनेटर (DPMU) को सम्बन्धित तहसील के उपजिलाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर प्रकरण की अद्यतन रिपोर्ट प्राप्त कर भूमि विवादों का निस्तारित कराने के निर्देश दिये गये।

अधिशाली अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा निर्गत की गयी धनराशि को 5 कटेगरी में विभाजित किया गया है, जो निम्नवत है-

1. ऐसी योजनायें जो शतप्रतिशत पूर्ण व संचालन एवं अनुरक्षण की श्रेणी में हैं।
2. ऐसी योजनायें जो शतप्रतिशत पूर्ण व ट्रायल एवं रन की श्रेणी में हैं।
3. ऐसी योजनायें जो शतप्रतिशत पूर्ण व ट्रायल एवं रन की श्रेणी में जानी हैं।
4. ऐसी योजनायें जिनका कार्य 91 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के मध्य है।
5. ऐसी योजनायें जिनका कार्य 81 प्रतिशत से 90 प्रतिशत के मध्य है।

अधिशाली अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि फेज-3 के अन्तर्गत 205 योजनाओं के सापेक्ष कटेगरी-1 में 4 योजनायें, कटेगरी-2 में 6 योजनायें, कटेगरी-3 में 27 योजनायें, कटेगरी-4 में 21 योजनायें एवं कटेगरी-5 में 21 योजनायें हैं। अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि समस्त चयनित 79 योजनाओं का वर्क प्लान अधिशाली अभियन्ता को उपलब्ध कराते हुये योजनाओं को माह-जून 2026 तक पूर्ण कराते हुये कटेगरी-1 में ले जाना सुनिश्चित करें, साथ ही अग्रिम बैटक में योजनाओं में सम्मिलित राजस्व ग्रामों की संख्या को भी अंकित करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही:-परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स स्थिविक कोया (जे0वी0)- कोया/अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) महाराजगंज, अधिशाली अभियन्ता (वि0/याँ0), जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर, अधिशाली अभियन्ता विद्युत विभाग, महाराजगंज

### (3) मेसर्स स्थिविक कोया (जे0वी0) (JJM फेज-3)- स्थिविक

#### अगली बैठक हेतु लक्ष्य

Name of Firm	T.W.				OHT					Pump House				
	Drilling	Comp resser	O.P. Unit	Pump Lowering	0-25 %	25-50%	50-75%	75-99%	100%	0-25 %	25-50%	50-75%	75-99%	100%
Rathwik-Koya (JV) > Rathwik	-	-	-	5	5	2	12	10	6	3	3	5	12	6

Pipe Line (km)	FHTC	Solar	DG	Regular Water Supply	Boundary wall (up to DPC)				
					0-25 %	25-50%	50-75%	75-99%	100%
6.00	800	6	4	10	2	1	2	3	2

अधिशाली अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि 302 राजस्व ग्रामों के 174 परियोजनाओं के सापेक्ष 2 परियोजनायें मा0सिविल कोर्ट में विचाराधीन है। जिसके सम्बन्ध में अधोदस्ताक्षरी द्वारा भूमि विवाद से सम्बन्धित प्रकरण को डिस्ट्रिक्ट को-आर्डिनेटर (DPMU) को सम्बन्धित तहसील के उपजिलाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर प्रकरण की अद्यतन रिपोर्ट प्राप्त कर भूमि विवादों का निस्तारित कराने के निर्देश दिये गये।

अधिशाली अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा निर्गत की गयी धनराशि को 5 कटेगरी में विभाजित किया गया है, जो निम्नवत है-

1. ऐसी योजनाये जो शतप्रतिशत पूर्ण व संचालन एवं अनुरक्षण की श्रेणी में है।
2. ऐसी योजनाये जो शतप्रतिशत पूर्ण व ट्रायल एवं रन की श्रेणी में है।
3. ऐसी योजनाये जो शतप्रतिशत पूर्ण व ट्रायल एवं रन की श्रेणी में जानी है।
4. ऐसी योजनाये जिनका कार्य 91 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के मध्य है।
5. ऐसी योजनाये जिनका कार्य 81 प्रतिशत से 90 प्रतिशत के मध्य है।

अधिशाली अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि फेज-3 के अन्तर्गत 174 योजनाओं के सापेक्ष कटेगरी-1 में 3 योजनाये, कटेगरी-2 में 19 योजनाये, कटेगरी-3 में 11 योजनाये, कटेगरी-4 में 38 योजनाये एवं कटेगरी-5 में 24 योजनाये है। अधोदस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि समस्त चयनित 95 योजनाओं का वर्क प्लान अधिशाली अभियन्ता को उपलब्ध कराते हुये योजनाओं को माह-जून 2026 तक पूर्ण कराते हुये कटेगरी-1 में ले जाना सुनिश्चित करें, साथ ही अग्रिम बैठक में योजनाओं में सम्मिलित राजस्व ग्रामों की संख्या को भी अंकित करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही:-परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स स्थिविक कोया (जे0वी0) - स्थिविक/अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) महाराजगंज, अधिशाली अभियन्ता (वि0/याँ0), जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर, अधिशाली अभियन्ता विद्युत विभाग महाराजगंज

**(4) मेसर्स मेघज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा०लि० TPIA:-** डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर (TPIA) द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन योजना के क्रियान्वयन में पिछली बैठक से वर्तमान तक प्रस्तुत की गयी, जिसका विवरण निम्नवत है-

S.No.	Name of Agency	Critical NC	Compliance	Pending
1	JMC Project	62	59	3
2	Ritwik	44	37	7
3	Koya	39	25	14
<b>Total -</b>		<b>145</b>	<b>121</b>	<b>24</b>

अधोस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि ऐसे राजस्व ग्राम जिनके रोड रेस्टोरेशन का कार्य शतप्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है की सूची बनाते हुये कराये गये कार्यों की विडियोग्राफी अग्रिम बैठक से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, साथ ही उक्त की कापी सम्बन्धित ग्राम प्रधान व सचिव को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही:- परियोजना प्रबन्धक, जे०एम०सी० एवं एल०सी०ई०एस०पी०एस०(जे०वी०)/मेसर्स मेघज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा०लि०, महाराजगंज/अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण),

**(5) मेसर्स आर०वी०ए०सि०ए०एस (जे०वी०) निप्योन कोर्ड DPMU-** अधोस्ताक्षरी द्वारा डिस्ट्रिक क्वार्टिनेटर को निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित उपजिलाधिकारी एवं राजस्व विभाग से समन्वय स्थापित कर साथ भूमि विवाद से सम्बन्धित समस्त प्रकरण की अद्यतन रिपोर्ट प्राप्त करते हुये भूमि विवादों को अगली मासिक बैठक से पूर्व प्रकरण निस्तारित कराने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही:- डिस्ट्रिक क्वार्टिनेटर (DPMU)/अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण),

**(6) अधिशाली अभियन्ता (वि०/यॉ०) खण्ड, जल निगम (ग्रामीण), गोरखपुर-** अधोस्ताक्षरी द्वारा वि०/यॉ० खण्ड के सहायक अभियन्ता को निर्देश दिये गये कि वि०/यॉ० कार्यों से सम्बन्धित कार्यों का विवरण-जैसे विद्युत पोल, तार, ट्रांसफार्मर, विद्युत मीटर, विद्युत संयोजन/इनरजाईज आदि अधिष्ठापन का विवरण अगली मासिक बैठक से पूर्व सम्बन्धित विद्युत वितरण खण्ड महाराजगंज के अधिशाली अभियन्ता से सम्पर्क स्थापित कर कार्यों को पूर्ण कराते हुये, पूर्ण विवरण कम्प्लेन्ट वाईज सूचना के साथ उपस्थित रहने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही:- अधिशाली अभियन्ता (वि०/यॉ०), जल निगम (ग्रामीण), गोरखपुर)

**(7) अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, महाराजगंज-** अधोस्ताक्षरी द्वारा अधिशाली अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड महाराजगंज को पेयजल योजनाओं पर कराये गये विद्युत संयोजन/इनरजाईज के अधूरे कार्यों को अगली मासिक समीक्षा बैठक से पूर्व विशेष रूप से पूर्ण कराने व अवशेष विद्युत संयोजन कार्य विद्युत मीटर के साथ अधिष्ठापित करने हेतु निर्देशित किया गया। ऐसी योजनायें जिनमें सिविल कार्य 100 प्रतिशत पूर्ण हो चुकें जिसकी सूची जल निगम द्वारा उपलब्ध करायी गयी है उनमें विद्युत सम्बन्धी समस्त कार्यों को पूर्ण कराकर विद्युत आपूर्ति अविलम्ब बहाल कराने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही:- अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल, महाराजगंज

(8) जिला तकनीकी इकाई (DTU) की स्थापना:- मुख्य सचिव उ०प्र० शासन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुगाग-1 के शासनादेश संख्या-7/2026/493/छिदत्त-1-2026 (2027542) दिनांक 28 फरवरी 2026 एवं पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-11031/14/2025-WQ-DDWS दिनांक 12 जनवरी 2026 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में ग्राम पंचायतों में पाइप पेयजल योजनाओं के प्रभावी संचालन एवं अनुक्षण तथा दीर्घकालीक स्थायित्व हेतु जनपद स्तर पर जिला तकनीकी इकाई (DTU) का गठन हेतु जिलाधिकारी महोदय के समक्ष पत्रावली प्रस्तुत कर (DTU) का गठन कराये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही:- अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), महाराजगंज)

(9) जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 'जल अर्पण' एवं 'जल महोत्सव' कार्यक्रम:- अधिशासी निदेशक राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग लखनऊ के पत्रांक-3234/W-17(Jalarpan)Tech-1/2025-26 दिनांक 07जनवरी 2026 द्वारा 'जल अर्पण' कार्यक्रम एवं पत्रांक-3781/W-17(Jalarpan)Tech-1/2025-26 दिनांक 17फरवरी 2026 'जल महोत्सव' अभियान (08 मार्च से 22 मार्च 2026) हेतु दिये गये निर्देशों का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही:- अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), महाराजगंज)

(महेन्द्र कुमार सिंह)  
आइ०ए०ए०  
मुख्य विकास अधिकारी  
महाराजगंज।

### कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, महाराजगंज

पत्रांक: / / दिनांक: / /2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, महाराजगंज।
2. मुख्य अभियन्ता(गो०क्षे०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), गोरखपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), गोरखपुर।
4. अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल, महाराजगंज।
5. अधिशासी अभियन्ता खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), महाराजगंज।
6. अधिशासी अभियन्ता (वि०/यौ०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), गोरखपुर।
7. प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स मे० जे.एम.सी.प्रोजेक्ट एवं एल.सी.ई.एस.पी.एस.(जे.वी.), महाराजगंज।
8. प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स स्थिविक कोया (जे.वी.), कोया-महाराजगंज।
9. प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स स्थिविक कोया (जे.वी.), स्थिविक-महाराजगंज।
10. मेसर्स मेधाज टेक्नो कांसेप्ट प्रा०लि०, महाराजगंज।
11. डिस्ट्रिक्ट क्वार्टिनेटर (DPMU) महाराजगंज।

Digitally signed by  
Mahendra kumar singh  
Date: 27-03-2026  
15:13:36

मुख्य विकास अधिकारी  
महाराजगंज।